तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार की तारीख
19.6.18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। सहमत नहीं होने का कारण [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 28.6.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) [illegible] अधिकारी	
28/6/18	पत्रावली पुकार पर पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार पेश हुई। वकील को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक हुक्मात रिपोर्ट [illegible] डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली के तहत [illegible] [illegible] हो सुनाया गया। (हस्ताक्षर) SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/238/17

बउनवान

1. बालकिशन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
तहसील कठूमर जिला अलवर —— वादी

बनाम

1. मदन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौखर
2. रतनलाल पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
3. बृजमोहन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
4. सावित्री पुत्री गोकल पत्नी पप्पू जाति खटीक
5. बबीता पुत्री गोकल पत्नी जगन जाति खटीक
निवासीयान खौंखर हालवासी गुढाकटला तहसील बांदीकुई
6. बत्तोदेवी पत्नी स्व0 गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
तहसील कठूमर जिला अलवर
7. उप पंजीयक कठूमर
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री सतेन्द्रकुमार शर्मा एडवोकेट :– अधिवक्ता वादी

श्री देवेन्द्रसिंह :– अधिवक्ता प्रतिवादी

श्री पुष्पेन्द्र चौधरी :–अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 28.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 46/ 240 रकवा 1.01 ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी में वादी का 1/7 हिस्सा है। उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

में अपने 1/7 हिस्सा की आराजी का अलग से तकासमा कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण वादी के उक्त आराजी में शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है विना तकसीम कराये रहन वय करना चाहते है। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व हुक्मइन्तनताई दवामी से पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन कर वाद वादी दिनांक 19.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी कर तहसीलदार कठूमर से कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश कर दी है जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार कठूमर की कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्षकार ने कोई एतराज नहीं किया है। अतः मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर दावा अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 46/240 रकवा 0.14 हे. बा0दो0 तर्फ उत्तर वादी बालकिशन पुत्र गोकल खटीक को खसरा नम्बर 46/240/1 रकवा 0.87 हे. तर्फ दक्षिण वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर मदन, रतनलाल, बृजमोहन पुत्रान गोकल, बत्तोदेवी पत्नी गोकल व सावित्री ववीता पुत्रियान गोकल कौम खटीक को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे तथा वटे नम्बरान का राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(sd/-)
उपखण्ड अधिकारी
(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(sd/-)
(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/238/17

बउनवान

1. बालकिशन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
तहसील कठूमर जिला अलवर

—— डिकीदार

बनाम

1. मदन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौखर
2. रतनलाल पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
3. बृजमोहन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
4. सावित्री पुत्री गोकल पत्नी पप्पू जाति खटीक
5. बबीता पुत्री गोकल पत्नी जगन जाति खटीक
निवासीयान खौंखर हालवासी गुढाकटला तहसील बांदीकुई

6.बत्तोदेवी पत्नी स्व0 गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर
तहसील कठूमर जिला अलवर

6. उप पंजीयक कठूमर
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 46/240 रकवा 0.14 हे. बा0दो0 तर्फ उत्तर वादी बालकिशन पुत्र गोकल खटीक को खसरा नम्बर 46/240/1 रकवा 0.87 हे. तर्फ दक्षिण वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर मंदन, रतनलाल, बृजमोहन पुत्रान गोकल, बत्तोदेवी पत्नी गोकल व सावित्री ववीता पुत्रियान गोकल कौम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

खटीक को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे तथा बटे नम्बरान का राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 28.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/238/17

बउनवान

1. बालकिशन पुत्र श्री गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर तहसील कठूमर

—— वादी

बनाम

1. मदन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर तहसील कठूमर
2. रतनलाल पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर तहसील कठूमर
3. बृजमोहन पुत्र गोकल जाति खटीक निवासी खौंखर तहसील कठूमर
4. सावित्री पुत्री गोकल पत्नी पप्पू जाति खटीक निवासी खौंखर तहसील कठूमर हाल गुडाकटला तहसील बांदीकुई जिला दौसा
5. बबीता पुत्री गोकल पत्नी जगन जाति खटीक निवासी खौंखर तहसील कठूमर हाल गुडाकटला तहसील बांदीकुई जिला दौसा
6. बत्तो देवी पत्नी स्व0 गोकल जाति खटीक निवासी खौखर तहसील कठूमर
7. उप पंजीयक भनोखर
8. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

——— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा :— अधिवक्ता वादी

श्री देवेन्द्र सिंह :— अधिवक्ता प्रतिवादी

श्री पुष्पेन्द्र चौधरी :— अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 19.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 46/240 रकबा 1.01 हे0 वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी में वादी का 1/7 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वकुलान/फरीकेन उपस्थित हुये।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम दुघाटी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जे काश्त का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 46/240 रकबा 1.01 हे0 का हिस्सेनुसार वाके ग्राम दुघाटी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुॅच कर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक रिकोर्ड(हिस्सा जमाबन्दी) एवं कब्जाकास्त विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी नियमानुसार तकासमा (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर न्यायालय में पेश करें। ताकि वाद अंतिम रूप डिक्री किया जा सके।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 19.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner